REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003-05



रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05



प्राधिकार से प्रकाशित **PUBLISHED BY AUTHORITY**

नई दिल्ली, शनिवार, मई 21----मई 27, 2011 (वैशाख 31, 1933) सं. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 21-MAY 27, 2011 (VAISAKHA 31, 1933) No. 21]

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4 [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं] [Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल 2011

सं. ई-III/18(6)/08/टीएन/छूट/निरस्तीकारण--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उपधारा (4) के खंड (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एस. चटर्जी, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एतद्द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (अ) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या उप क्षे. का. 3416 दिनांक 26.10.1957 द्वारा मैसर्स बी. एण्ड सी. मिल्स लि., टीएन/29 जिसका पंजीकृत कार्यालय 106, आर्मीनियन स्ट्रीट, चैन्नै-600001 में स्थित है, मेरे समक्ष प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, पर्याप्त कारणों से, जो मैं उचित समझता हूं, को प्रदत्त छूट दिनांक 31.08.2007 से निरस्त करता हूं।

एस. चटर्जी

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक नवम्बर 2010

का.रा.बी. निगम(भर्ती)विनियम, 2010 ग्रुप 'ग' (परा-चिकित्सा) पद

सं. ए-12(11)1/2008-चि.4(आर.आर.-पी.एम.)--कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (2) के खण्ड (21) और धारा 17 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 97 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में तथा इस विषय पर पूर्व सभी अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से रह गई बातों के अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद्द्वारा ग्रुप 'ग' परा चिकित्सा पदों की भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित भर्ती विनियम बनाता है, अर्थात् :--

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :--
 - (i) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (परा चिकित्सा पद) भर्ती विनियम, 2010 कहे जायेंगे।

(ii) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान :--

उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य मामले आदि :--

भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

4. निरहर्ता :--

ऐसा कोई व्यक्ति :--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है जिसका विवाहिती जीवित है : अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का इकरार किया है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगां।

बशर्ते कि यदि महानिदेशक इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह की दूसरी पार्टी पर लागू वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वे किसी व्यक्ति को इस विनियम से छूट दे सकते हैं।

5. स्थायीकरण विभागीय पदोन्नति समिति :--

स्थायीकरण विभागीय पदोन्नति समिति संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा तीन सदस्यी समिति के गठन द्वारा की जाएगी जिसमें संबंधित अस्पताल के अपर निदेशक/उप चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक पद का अध्यक्ष होगा।

6. ढील देने की शक्ति :--

जहाँ निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वह अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का सुस्पष्ट पूर्व अनुमोदन लेने के पश्चात, कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा व्यक्तियों के वर्ग के लिए इन विनियमों के किसी भी उपबंध में ढील दे सकते हैं।

7. अवशिष्ट मामले :--

इन विनियमों के उपबंधों के शर्ताधीन, निगम में पदों के तदनुरूपी वर्ग के लिए लागू सभी विनियम और अनुदेश इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

8. अपवाद :--

इन विनियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में ढील और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों और व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।

> सी. एस. केदार महानिदेशक

,

भारत का राजपत्र, मई 21, 2011 (वैशाख 31, 1933)

3301

i

$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	אמ שו אוא את מו גומרו		वतन हड आर	व्य	वया कन्द्राय	सायी भरते के लिए आयु सीमा	सीयी पती के लिए अयोक्षेत शोकिक		परिवीधा	Т		याद विमायाय	
2 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P <th></th> <th></th> <th>15 20-</th> <th>24-</th> <th>स्तिवेल सेवा</th> <th></th> <th>आर अन्य अध्यम</th> <th>मता ठाल्म</th> <th>16</th> <th>क्या सीची भती</th> <th>प्रतिनियुक्ति(</th> <th>पदोन्नति समिति ह</th> <th>या रा स्थातया</th>			15 20-	24-	स्तिवेल सेवा		आर अन्य अध्यम	मता ठाल्म	16	क्या सीची भती	प्रतिनियुक्ति(पदोन्नति समिति ह	या रा स्थातया
$T_{\rm eff}$ $T_{\rm eff$			वेतनमान	N N	(1-11)			影			अम्मेलन हारा मती		
R B B Compare <td></td> <td></td> <td></td> <td>अधवा</td> <td>नियम, 1972</td> <td></td> <td></td> <td>REE</td> <td></td> <td>1</td> <td>कि मामरी में हे ग्रेड</td> <td></td> <td>करते समय</td>				अधवा	नियम, 1972			REE		1	कि मामरी में हे ग्रेड		करते समय
YetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetWetW				ŧ.	के नियम 30			आप और		अधवा	Contra de cachalici.		संघ लोक
2 3 4 5 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 <td></td> <td></td> <td></td> <td>चयन</td> <td>के अधीन</td> <td></td> <td></td> <td>afflace</td> <td></td> <td>जनिवाकित/</td> <td>uffictulter.</td> <td></td> <td>सेवा आयोव</td>				चयन	के अधीन			afflace		जनिवाकित/	uffictulter.		सेवा आयोव
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $				5	朝日 日 日日		-	and and		Terra Canadiana			से परामर्श
2 3 4 5 6 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4					The set and								किस्या ज्याचा
2 3 4 5 6 7 0 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 0 10 11 12 13 2 3 1 1 1 1 1 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 <td>•</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>dite:</td> <td></td> <td></td>	•										dite:		
2 3 4 6 7 6 7 6 7 7 2011 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7								मामद्यम					Ð
2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 Pertrix 3 3 4 5 6 7 7 6 10 11 12 13 Pertrix 3 3 4 5 6 7 7 6 10 11 12 13 Pertrix 3 3 5 6 7 7 3 6 10 11 12 13 Sum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>hc.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td></t<>				-	hc.					-			
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$								E L				•	
2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 501<(000)										वरिकस्त			
551 * (2004) पूर प मेल कि-। गणि मित्रा मा गणि मित्र	1 2	3	4	G	ų	4	a	d		;	ţ	5	14
Participating and the additionability and the additing the additionability and the additionability and the ad	+	T				•			2	=	31		
पर पारापठपराध पर भारत का स्वारत कर सराजा अपना समयुष्य बाई से । प्रायासक स्वार का प्रायतिक ज्ञान समयुष्य जी स्वार्भ जा स्वार का प्रायतिक जाता का प्रायासक जाता स्वार अपनित का स्वार तो का स्वार्भ जाता स्वार को अतिम सारोड हो तो प्रारत की अतिम सारोड हो तो प्रारत की अतिम सारोड हो तो स्वार्भ संवार्ध का तो स्वार्भ का स्वार्भ का तो प्रारत की अतिम सारोड हो तो प्रारत की अतिम सारोड हो तो स्वार्भ का सारोड सारोड को सारोड हो तो स्वार्भ का सारोड सारोड का सारो का सारोड सारोड का सारोड का सारोड सारोड का सारोड सारोड का सारोड का सारोड सारोड का सारोड का सारोड सारोड का सारोड का सारोड सारोड का सारोड का सारोड सारोड का सारा का सारोड सारोड का साराड का सारोड सारोड का सारोड का सारोड सारोड का सारोड का सारोड सारोड का सारोड का सारोड सारोड का साराड का साराड का साराड का साराड सारोड का साराड का साराड का साराड का साराड का साराड साराड का साराड का साराड का साराड का साराड का साराड साराड का साराड का साराड का साराड का साराड का साराड साराड का साराड का साराड का साराड का साराड का साराड का साराड का साराड साराड का साराड क		J		Ē		g 1	ਸਾ-ਪੰਨ ਗਤ ਦੇ ਸਾਟ੍ਰੇ ਪਾਸ	लागू नहा	5		लगतु नही	लागू नहा	लायू नहा
पर इ.200-20200/ निमा के हमेजारियों के मानले उपजार का प्रावमिक ज्ञान । सरकार स्वयं स्वयं स्वयं कि को तिमा से स्वयं कि को दिसी स्वयं में के दिसी स्वयं में के दिसी स्वयं ने प्रावसित और सरस्यात है पातों की देखेख स्वयं ने प्रावसित और सरस्यात है पातों की देखेख स्वयं ने प्रावसित और सरस्यात है पातों की देखेख स्वयं ने प्रावसित और सरस्यात्ति है प्राय मानित्यों के मणिषुर, नातालेफ, तिप्र, स्वतं के प्रावसित और सरस्यात्ति के स्वयं संवति त्यं प्राय कि भ्राप्ति को स्वयं है स्वतं का लाइत का कि अनुप्राव जीति का अपने के लिए सिंगिका और वास तिका कि अपने के लिए तिका और वास तिका कि अपने के लिए तिका और वास तिका का कि अपनिय है। सिंगिका और वास तिका कि अपने के लिए तिका और वास तिका कि अपने के लिए तिका ती के अपनिय को भरते के लिए तिका ती का प्राया तिका अपने का लिए तक्ता कि अपनियों के तिल	~			ЧÊ		किमचारिया आर क.रा.बो.	अधवा समतुल्य बोर्ड से । प्रायमिक			मती दारा			
में स्वयं स्वयं से 37 वर्ष तक दील) द्वापा अनुमीदितप्रजीसूल नर्सिंग मेंड बेतन 1800 ति जी आनु सीमा निस्तिति क्षेत्र गोत के स्वयं की देखरेख स्वयं भ000 ति जी और मतारीख जोगा के प्रायं जी निर्माय जाति को आदे पर स्वयं निर्माय जाति को जी के माली में स्वयं गोत जा जुनुसीत सरल ने उम्मीदवारों से आवेदत प्रातं को और मतारीख सोगी कि माली में में साम गांतिकारी के अलगाज दिसा, निजाय हो ना जाते के भारत का ति की संद प्रतियं ने की आते माली के माली में मारा जी की संद संतित्वम, जम्मू व कामी दिसानी को सह राज हो सीति जिला और माली के जानीत को जानती के ति त्यति का गोति जी संद सिमाचा प्रधा का लोग को अन्ति में जिली जी सर राज स्वति की जात वा जुनुसीत त्यते माली के जानीतित जी भरते के ति ति माली के जानीतित जो भरते के ति ति माली के जानीतित जो भरते के ति ति माली की आदात तित्ता जी माति को जोते जी याते या जुनुसीत ति माता तिता और माता कि अनुसीत को भरते के ति ति माता तिता और माता कि जानीतित जो भरते के ति ति माता तिता और माता कि जानीति को आदिता माते ति निता की प्रती के तिति ति मिता का माति का माति का माति ति की नातीत की माता ति की नातीत का माता माता ति का सीती की सरम गाविता मातिना माता ति की नातीत जो माता ति का माता का माना माता ति का माता का माता माता ति का माता का माता का ति का माता का माता ति का माता का माता माता ति का माता का माता का माता ति का माता का माता का ति का माता का माता का ता माता का माता का त		41	5200-20200/-			िनिगम के कर्मचारियों के मामले	उपचार का प्राधमिक झान । सरकार						
हो		*#	2017			में 37 वर्ष तक दील)	अनमोटित/पंजीकरा						
मेंड बेतन 1800 टिपाणी आयु सीमा निर्धातित और सहमप्यदर्श का एक वर्ष का करते की निर्णायक तारीख रूपये अपने की शीला मार्ड की सीमा निर्धाति की भारत मारह कागि स्वत 180 अपने की शीला मार्ड की सीमा मार्ड की सार्ड की सार पार्ड की सार्ड की सीमा मार्ड की सीमा मार्ड की सार पार्ड का मार्ड की सामा मार्ड की सार पार्ड का मार्ड की सार पार्ड का मार्ड की सार पार्ड का कि अपनिक की भारत के लिया की सार्ड की लाग्त मार्ड की लाग्त मार्ड की लाग्त मार्ड की लाग्त मार्ड का लाग्त लिक अपनिक की सीमा मार्ड की लाग्त मार्ड की लाग्त मार्ड की लाग्त मार्ड की लाग्त मार्ड की सीमा सीमा मार्ड की सार्ड की सार मार्ड की लाग्त का सीमा सीमा मार्ड की सीमा सीमा का सार्ड की सार्ड की मार मार्ड का लाग्त मार्ड का लाग्त ने सार्ड का लाग्त की सार्ड मार्ड का लाग्त लाग्त मार्ड की लाग्त मार्ड का लाग्त लाग्त का ला लाख सीमा मार्ड का लाग्त के सार्ड का लाग्त ला ला लाग्त का लाग्त सार्ड का लाग्त लाग्त मार्ड का लाग्त की ला लाग्त का ला लाग्त का ला लाख सार्ड का लाग्त का लाग्त का लाग्त का लाग्त लाग्त का लाग्त लाग्त का लाग्त लाग्त का लाग्त ला ला लाग्त लाग्त का लाग्त ला ला ला लाज्त की लाग्त का लाग्त का लाग्त ला लाग्त		恒					होध/प्रसात हे शातों की रेप्ट्रोप्ट						
स्पर्धने स्पत्र के साम तिप्तार का प्रत के साम तिप्तार का प्रत का प्रत के साम तिप्तार का स्पत्र का प्रत के साम तिप्तार का स्पत्र का संत्र का स्पत्र का स्पत्र का संत्र का स्पत्र का स्पत्र का स्पत्र का स्पत्र का स्पत्र का स्पत्र का संत्र का संत्र का संपत्र का स्पत्र क	4		the bar income		_								
रूपय करने ठी निजायिक तारोख अनुभव । भारत ने उम्मीदियां के आदन प्रांत की असिन तारोख होगी (और न कि असम मोरीजां के आसम प्रांतिवन्तीय है । मिलिए, नगालेपड, तिपुरा, संग्लिप, नगालेपड, तिपुरा, संग्लिप्र, नगालेपड, तिप्र, संग्लिपड, नगाल, व्यसम प्रांतिकतों के भरते के लिए तथा जिल्ला की अभीक्षत जनुभव वाते तथा ति जिल्ला की अभीक्षत जनुभव वाते तथा तिजला की अभीक्षत जनुभव वाते तथा ति का भरत मार्ग अंडमान तथा ति की प्रांत संग्ला-मार्ग के तिप्र तथा ति की प्रांत संग्ला-मार्ग तथाति कि सार्ग का तथा ति की प्रांत संग्ला-मार्ग वितेतानुसार अनुभव संवंधी अर्तताप वितेतानुसार अनुभव संवंधी अर्तताप			10001			וכשטון שוק אואו ו-תווגע	आर मरहमपट्टा का एक वर्ष का						
भारत ने उम्मीटवार्ग से आदेत जिल्ली अंतिम सारोख होता : अन्यवा सुयोय उम्मीटवार्ग (और न कि अस्ता सारोख होता (और न कि अस्ता सारोख हो स्लालिप, निगात्म, के मालते के मालते में मलिप, नागतिफ, त्रिप्ता मलिफ, नागतिफ, त्रिप्ता मिलिफ, जम्म व कासीत का स्थाति जिला और बच्चा जिले जन्मुपीवन जाति या उन्मुपीव स्थाति जिला और बच्चा जिले जन्मुपीवन जाति या उन्मुपीव स्थाति जिला और बच्चा जिले जन्मुपीवन जाति या उन्मुपीवन स्थाति जिला और बच्चा जिले जन्मुपीवन जाति के अभ्यत्रियों के लिए त्या पांगी प्र प्राप्ता, उद्यत्ता के अभ्यत्रियों के लिए तथा पांगी प्र प्राप्ता, उद्यत्ता कि अन्यत्रियों को प्रति अन्यत्र तथाति कि लिए निपाति संस्तिर के लिए निपातित अस्तिम सारोख)। स्थिति को प्रार्थत संख्या प्रावस्ता			स्वय			करने की निर्णायक तारीख	अनुभव ।						
प्राप्ति की अतिम तारोख होगी टिप्पणी । उत्तयवा सुयोग्य उम्मीदतारों (और न कि अस्म, केणलय, के मामले में सक्त प्राधितारों के अच्चणाडन प्रदेश, निजोरप, विवेकानुसार अहंताए किथित्यनीय है। मलिफुस, नागलेण्ड, त्रिपुर, नागलेण्ड, त्रिपुर, नागलेण्ड, त्रिक्ती सर संसत्म प्राणिकम, जम्मू त कम्मोर, टिप्पणी 2 यदि यदन के दिल्ती सर रदजर का लदाख प्रभाग, दिप्पणी 2 यदि यदन के दिल्ती सर रदजर का लदाख प्रभाग, दिप्पणी 2 यदि यदन के दिल्ती सर संसत्त का लदाख प्रभाग, अद्भाव को अन्तुत्वीत ताती तिला और वन्ता जिले अन्तुत्वीत को भरते के लिए लगा ति उप प्रभाग, अद्भाव ताती प्रभाग, अस्तान ताती तिला और वन्ता जिले के अपेक्ति अनुपांठ ताता या प्रभाग, अस्तान तात्वी के अपेक्ति अनुपांठ वाते संसदी के अप्तित अनुपाद वाते संसदी के अपंतित अनुपाद वाते संसदी के अपंतित अनुपाद वाते संसत्त का ताता का प्रभाग, उद्भाग के संसन प्रायिकारी संसति ता अनुपाद संख्या आल्ब	•	:				भारत में उम्मीदवारों से आवेदन							
के मामले में सक्षमं प्राधिकारी के विद्येकानुसार अर्हताएं विमिक्तनीय है। टिप्पणी 2 यदि एयन के क्रिसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो के अनुसुधित जाति या अनुसुधित जनजाति के अभ्यक्षित अनुभव वाते अभ्यविधी की प्रपाद सरका अरहताए हेन समुदायों की प्रपाद सरका आहताए विदेकानुसार अनुभव संहमी अर्हताए सिधिम कर सकते है।						प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी	टिप्पणी 1 : अन्यथा सधोग्य उम्मीदवारों						
विवेकानुसार अर्हताएँ भिधिलनीय है। टिप्पली 2 यदि चयन के किसी संत पर सक्षम गाधिकाले को यह राय हो के अनुमुधिल जाति या अनुपूर्धिल जनजाति के अभ्यार्थयों के तिल आरोहत शिक्तेलों को भारते के तिए इन समुदायों के प्रयोध अप्रते को अभ्यविंगी की प्रयोध मंहमा उपलब्ध नहीं होगी तो सहम गाधिकाल दिवेकानुसार अनुभव संबद्यों अर्हताए भिग्धान कर सकते है।					,	(और न कि असम मेधालय	के मामले में सक्षम पाशितकारी के						
प्रप्रधानुमार अल्लाम प्राप्तमाप हो। टिप्पणी २ वदि चयन के किसी संत पर सक्षम प्राप्तिकरों को यह राय हो जनजाति के अभ्यविंधों के लिए जनप्रसित रवित्ता को भरने के लिए इन समुदायों के प्राप्ति मंडवा अभय वाले अभ्यविंधों की प्राप्ति मंडवा आदिकारी दिवेकानुसार अनुभव संबंगी अर्हताए विवेकानुसार अनुभव संबंगी अर्हताए विवेकानुसार अनुभव संबंगी अर्हताए विवेकानुसार अनुभव संबंगी अर्हताए				_		-						-	
टिप्पती 2 यदि चयन के किसी सत पर सक्षम प्राप्तिकारी की यह राय हो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अध्यविंधों के लिए इन समुदायों की प्रयोध संख्या अल्बा अध्यविंधों की प्रयोध संख्या आवक नहीं होगी तो सक्षम प्राप्तिकारी विवेकनुसार अनुभव संख्यी अर्तताए विवेकनुसार अनुभव संख्यी अर्तताए विवेकनुसार अनुभव संख्यी अर्तताए													
टिप्पटा। २ या उथन की किसा संतर पर सक्षम प्राधिकारी को यह राय हो कि अनुसुधिक जाति या अनुसुधित जनजाति के अभ्यार्थयों के लिए इन समुदायों के अभीक्षत अनुभव बाते अभ्यतियों की पर्यात संहया अभवा अभ्यतियों की पर्यात संहया अर्हताए दिवेकानुसार अनुभव संबयी अर्हताए विवेकानुसार अनुभव संबयी अर्हताए विवेकानुसार अनुभव संबयी अर्हताए													
र सक्षम प्राप्तिकारी को यह राय हो कि अनुमुणिन जाति या अनुसूणिन जनजाति के अभ्यार्थयों के लिए आरसित सिक्तित जो भरने के लिए हम समुदायों के अपेक्षित जनुभव वाते अभ्यार्थियों की प्रयुधित संख्या अत्ताए स्ही होगी तो सक्षम प्राप्तिकारी विवेकानुसार अनुभव स्वेयों अर्हताए विवेकानुसार अनुभव स्वेयों अर्हताए विवेकानुसार अनुभव स्वेयों अर्हताए							टिपपत्नो २ वाद चवन के किसो स्तर						
कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यविंग के लिए आरधित सक्तियों को भरने के लिए इन समुदयों की अपीक्त अनुभव बाते अभ्यविंग की प्रयोग संख्या आक्त नहीं होगी तो सक्षम प्राधिकारी विवेकनुसार अनुभव संबंगी अर्तताए विवेकनुसार अनुभव संबंगी अर्तताए विवेकनुसार अनुभव संबंगी अर्तताए						राज्य का लहाख प्रभाग,	पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो						
जनजाति के अभ्यार्थयों के लिए आपीका पीतेलयों को भारत हन समुदायों के आपीका अनुभव बाते अभ्यार्थियों की पर्यात संस्था आपीकारी नहीं होगी की संसभ गापीकारी दिवेकानुसार अनुभव संबंधी अर्तताए शिरीका कर सकते है।			1			हिमाचल प्रदेश का लाहौल तथा	िकि अनुसुचित जाति या अनुसुचित						A
आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव वाले अभ्यष्टियों की प्रयोद्ध संख्या अलल नहीं होगी तो सक्षम प्राधिकारी विवेकानुसार अनुभव संबंधी अहँताए भिषिमि कर सकते हैं।						स्पीति जिला और सम्बा जिले	जनजाति के अध्यर्थियों के लिग						
हन समुदायों के अमेशित अनुभव वाले अभ्यवियों की प्रयोध संख्या अलब्द नहीं होगी तो सक्षम प्राधिकारी विवेकानुसार अनुभव संबंधी अर्हताए भिषिम कर सकते हैं।						का पांगी स्व जभाग अंद्रमान	यार्याभत रिक्रिल्लों को धरने 🖈 लिए						
अभ्यविधी की प्रयोध सरका अभ्यक्ष अभ्यविधी की प्रयोध सरका अभ्यक्ष नहीं होगी तो सक्षम प्राधिकारी विवेकानुसार अनुभव संबंधी अर्हताए सिंधिम कर सकते है।						and familiar the are as	En morent & while arrive and						
अभ्यायया का प्रयास साख्य अपल्डा नहीं होगी तो सक्षम प्राधिकारी विवेकानुसार अनुभव संबंधी अर्हताए शिधिम कर सक्ते हैं।													
नही होगी तो सदम प्राधिकारी विवेकानुसार अनुभव सबंधी अर्हताए शिर्धांश कर सकते हैं।						लक्षद्वार के लिए निधारित	अभ्याधेयां को प्रयोध सरका उपलब्ध						
,						अंतिम तारीख) ।	नहीं होगी तो सक्षम प्राधिकारी						
				L.			िविवेकानसार अनभव संबंधी अर्हताए ।	:					•
		-					Baffarm and Hand	, ,	;				
	·												

ESIC (RECRUITMENT) REGULATIONS, 2010 GROUP C (PARA-MEDICAL) POSTS

No. A-12(11)1/2008-Med.-IV(RR-PM)—In exercise of powers conferred by Sub-section (1) of Section 97 read with clause (xxi) the Sub-section 2 of the said Section and Sub-section (2) of Section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in supersession of all previous notification on this subject, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes, with the approval of the Central Government, the following Recruitment Regulations regulating the method of recruitment to the Group 'C' Nursing Cadre/Posts namely :—

- 1. Short title and Commencement :---
 - (1) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation (Nursing cadres/Posts), Recruitment Regulations, 2010.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Offical Gazette.
- 2. Number of post, classification and scale of pay :—

The number of the said post, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedules annexed to these regulations.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications and other matters etc :---

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in column 5 to 13 of the said schedule.

- 4. Disqualification-No person :----
 - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person; shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Director General may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this regulation.

5. Confirmation DPC :---

Confirmation DPC shall be done by the concerned appointing authorities by constituting a Committee of three members including the Chairman of the rank of additional Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent of respective hospitals.

6. Power to relax :---

Where the Director General of the corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order, for reasons to be recorded in writing and after obtaining specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

7. Residuary matters :---

Subject to the provisions of these regulations, all Regulations and instructions applicable to the corresponding category of posts in the Corporation shall apply to the posts specified in the Schedule annexed to these Regulations.

Savings :—

Ì

Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

C.S. KEDAR Director General

PART III-SEC. 4]

THE GAZETTE OF INDIA, MAY 21, 2011 (VAISAKHA 31, 1933)

Ĩ	Name of the	Number of	Classification	Pay Band	Whether	Whether benefit of	Age limit for	Educational and other
	post	posts	s	and Grade Pay /Pay Scale	Selection post or non- selection post	added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension)Rules, 172	direct Recruitment	gualifications required for Direct Recruitment
			-					
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Nursing Orderly	831 *(2008) *Subject to variation depending upon workload.	Group "C" Non Ministerial	Pay Band -1, Rs 5200- 20200, Grade Pay Rs 1800)	Not Applicable	Not applicable	18-27 Years(Relaxable up to 37 Years in case of Government Servants and employees of ESI Corporation)	Matriculation or equivalent from recognized board. Elementary knowledge of 1st Aid. one year experience in handling and dressing wounds in Govt approved/registered Nursing Home/Hospital.
							Note. The crucial date for determining the age limit shall he the closing date for receipt of applications from candidates in India	Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified Note 2: The qualifications(s) regarding experience is / are relaxable
-					-	· · · ·	and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State.	at the discretion of the competent authority in the case of candidates beloaging to Scheduled castes and Scheduled Tribes If at any stage of Selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are and likely to be evaluable to fill up the
	· · · · ·						Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Cliamba, District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadeep)	vacancies reserved for them,

Whether age and educational qualifications prescribed for direct Recruitment will apply in the case of promotees	Period of Probation if any	Method of Recruitment whether by direct Recruitment or by promotion or by deputation/abs orption and percentage of vacancies to be filled up by various methods	In case of Recruitment by promotion/deputation/ absorption grade from which promotion, deputation, absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making Recruitment
9	10	11	12	13	14
Not Applicable	Two Years	100% by Direct Recruitment	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

3365

i

į.